

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही (राज.)
बईजलास श्रीमती अल्पा चौधरी, आई.ए.एस.

मुकदमा सं. 04 / 2025

प्रार्थी

सरकार जरिए प्रवर्तन निरीक्षक, पिण्डवाडा ।

बनाम

अप्रार्थी

श्री सोमाराम पुत्र श्री सवाजी जाति प्रजापत निवासी कुम्हारों का वास, आरासणा,
पिण्डवाडा जिला सिरौही हाल प्रो. अर्बुदा स्वीट सेन्टर, मैन बाजार, उदयपुर रोड,
पिण्डवाडा जिला सिरौही ।

प्रकरण अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :-

1. सहायक अभियोजन अधिकारी, सिरौही ।
2. अप्रार्थी स्वयं अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 24.04.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 03.01.2025 को सोनल राणावत प्रवर्तन निरीक्षक पिण्डवाडा एवं श्री सहीराम प्रवर्तन निरीक्षक सिरौही द्वारा संयुक्त रूप से अर्बुदा स्वीट होम, मैन बाजार, उदयपुर रोड पिण्डवाडा की जांच करने पहुंचने पर वहां पर एक घरेलू सिलेण्डर मय रबड पाईप नोजल एवं रेगुलेटर भट्टी के साथ जुड़ा हुआ पाया गया। उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग अन्य प्रयोजनार्थ करने से उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर को कब्जे सरकार लिया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत समयपहरण (Confiscate) करने हेतु यह प्रकरण पेश किया गया था।

प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया, जिस पर अप्रार्थी द्वारा बावजूद नोटिस तामिली के किसी भी प्रकार की कोई उपस्थिति नहीं दी गई एवं न ही जबाव प्रस्तुत किया गया। अतः प्रकरण में प्रार्थी पक्ष की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी सिरौही की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि दिनांक 03.01.2025 को सोनल राणावत प्रवर्तन निरीक्षक पिण्डवाडा एवं श्री सहीराम प्रवर्तन निरीक्षक सिरौही द्वारा संयुक्त रूप से अर्बुदा स्वीट होम, मैन बाजार, उदयपुर रोड पिण्डवाडा की जांच करने पहुंचने पर वहां पर एक घरेलू सिलेण्डर मय रबड पाईप नोजल एवं रेगुलेटर भट्टी के साथ जुड़ा हुआ पाया गया, जिस पर नाश्ता बनाने का कार्य किया जा रहा था। इस प्रकार मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ करने से अप्रार्थी द्वारा केन्द्रीय सरकार के लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन सप्लाइ एंड डिस्ट्रीब्युशन) आदेश 2000 की क्लॉज 3/2 का स्पष्ट उल्लंघन किया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अपराध होने से निरीक्षण दल द्वारा उपरोक्त

जिला कलक्टर, सिरौही

एक घरेलू गैस सिलेण्डर को कब्जे सरकार लिया गया है। अतः कब्जे सरकार लिये गये गैस सिलेण्डर एवं उपकरण को जब्त सरकार किया जावे।

अप्रार्थी की ओर से बावजूद नोटिस तागिली के किसी भी प्रकार की कोई उपस्थिति नहीं दी गई एवं न ही जबाब प्रस्तुत किया गया। अतः अप्रार्थी का जबाब देने का अवसर बन्द किया गया। अतः प्रकरण में प्रार्थी पक्ष की एक पक्षीय बहस सुनी गई।


प्रकरण में प्रार्थी पक्ष की सुनी गई बहस एवं न्यायालय पत्रावली का अवलोकन करने के उपरान्त निष्कर्ष इस प्रकार है कि अप्रार्थी द्वारा एक 14.2 किग्रा. घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग अन्य प्रयोजनार्थ व्यवसाय में किया जाने से केन्द्रीय सरकार के लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन सप्लाइ एंड डिस्ट्रीब्युशन) आदेश 2000 की क्लॉज 3/2 का स्पष्ट उल्लंघन किया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अपराध है। मौके पर प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के प्रतिष्ठान की जांच करने पर एक घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग प्रतिष्ठान पर नाशता इत्यादि बनाने का कार्य व्यावसायिक प्रयोजनार्थ किया जा रहा था एवं घरेलू गैस सिलेण्डर का प्रतिष्ठान पर नाशता इत्यादि बनाने का कार्य किया जाना वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ की श्रेणी में आता है। अप्रार्थी से उक्त सिलेण्डर के बारे में पूछा तो अप्रार्थी कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाने से निरीक्षण दल द्वारा उक्त सिलेण्डर को कब्जे सरकार लिया गया है। इस सम्बन्ध में मौके की फोटो के अवलोकन से यह पाया जाता है कि कब्जे सरकार लिया गया सिलेण्डर जिस भट्टी से जुड़ा हुआ था, उस भट्टी पर नाशता इत्यादि बनाने का कार्य किया जा रहा था। चूंकि कब्जे सरकार लिए गए सिलेण्डर घरेलू उपयोग में लिए जाते हैं परन्तु अर्बुदा स्वीट होम, मैन बाजार, उदयपुर रोड पिण्डवाडा के पास घरेलू गैस सिलेण्डर पाए जाना एवं उस पर वक्त निरीक्षण नाशता बनाने का कार्य किए जाने से स्पष्ट है कि उक्त गैस सिलेण्डर का उपयोग वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ किया जा रहा था। इस सम्बन्ध में अप्रार्थी द्वारा भी किसी भी प्रकार का कोई जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग अनाधिकृत रूप से किया जाने से केन्द्रीय सरकार के लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन सप्लाइ एंड डिस्ट्रीब्युशन) आदेश 2000 की क्लॉज 3/2 का स्पष्ट उल्लंघन किया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अपराध है।

अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर कब्जे सरकार लिये गये एक गैस सिलेण्डर मय रबड पाईप नोजल एवं रेगुलेटर भट्टी को जब्त सरकार किया जाना उचित प्रतीत होने से कब्जे सरकार लिये गये एक गैस सिलेण्डर मय रबड पाईप नोजल एवं रेगुलेटर भट्टी को समयपहरण (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते हैं।

जिला रसाद अधिकारी, सिरौही कब्जे सरकार लिए गए एक गैस सिलेण्डर में भरी हुई गैस को नियमानुसार निर्धारित दर पर बेचान कर खाली सिलेण्डर सम्बन्धित गैस कम्पनी को सुपुर्द कर प्राप्त राशि राजकोष के उचित लेखा मद में जमा कराने की कार्यवाही करें।

निर्णय सर इजलास सुनाया गया।




(अल्पा चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरौही